न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–150 / 17रा0वाद

अनवान

1–श्री बाबूलाल पिता मोतीलाल सुनार निवासी व तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2–नाथी देवी पुत्री मोतीलाल सुनार निवासी व तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---वादीगण।

बनाम

1–रमेशचन्द्र मुतबन्ना नानालाल सुनार निवासी आजादनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

2–भंवरलाल पिता प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेड़ा।

3–प्रकाशचन्द्र आत्मज प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेड़ा।

4–सम्पतलाल आत्मज प्यारचन्द सुनार निवासी बनेडा व तहसील बनेडा।

5–श्यामलाल आत्मज प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेड़ा।

6–जसोदा देवी पुत्री प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेड़ा।

7–पुष्पादेवी पुत्री प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेड़ा।

8–उप पंजीयक करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

9–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाड़ा।

--प्रतिवादीगण।

उपस्थित :–

1–श्री ताराचंद जैन	अधिवक्ता वादी
2–पैरोकार सरकार	अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188–92 क रा0टि0ए0

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा

निर्णय दिनांक 21.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188–92 क रा0टि0ए0 वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किये जाने से वाद पत्र वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा उजरदारी पेश करने हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किये गये। न्यायालय द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण अथवा उनके विधिक प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 07 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किये गये।

चूंकि समस्त मुख्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदत्त किये जा चुके है। अतः पत्रावली न्याय आपके द्वार –2018 अभियान के अंतर्गत लोक अदालत शिविर में मुकाम करेड़ा पर प्रस्तुत हुई। वक्त केम्प वादी बाबूलाल उपस्थित हुआ जिसने प्रकरण में लोक अदालत की भावना से 52 वर्ष से लंबित प्रकरण के निस्तारण हेतु निवेदन किया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा करेड़ा स्थित आ0नं0 2925, 2926 एवं 2927 किता 3 कुल रकबा 4.03 बीघा भूमि में प्यारचंद पिता हेमराज व नानालाल पिता हीरालाल का 2/5 हक हिस्सा अन्य सहखातेदारो के साथ निहित था जिन्होने अपने हक हिस्से की संपूर्ण भूमि को दिनांक 29.01.1966 को 99/–रूपये कलदार में वादीगण के पिता

Scanned by CamScanner

मोतीलाल पिता रामलाल सुनार निवासी राजाजी का करेड़ा को विक्रय कर आधिपत्य सिपुर्द कर दिया गया। वादीगण के पिता का निधन हो चुका है एवं वादीगण के पिता के जीवनकाल से मौके पर काबिज काश्त है। वक्त सेटलमेंट आ0नं0 2925, 2926 एवं 2927 कुल 4.03 बीघा भूमि के नवीन आ0नं0 4203 रकबा 1.07 बीघा व 4204 रकबा 1.15 बीघा कुल किता 2 रकबा 3.02 बीघा कायम किये परन्तु भूलवश राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त 3.02बीघा भूमि विक्रेता नानालाल व प्यारचंद सुनार के नाम आज दिनांक तक दर्ज रेकार्ड होकर चली आ रही है। वादीगण के पिता मोतीलाल को जिस व्यक्ति नानालाल एवं प्यारचंद द्वारा भूमि विक्रय की गई थी वह भूमि आज भी उनके नाम से ही दर्ज रेकार्ड है। अतः प्यारचंद पिता हेमराज एवं नानालाल पिता हीरालाल के नाम वादग्रस्त भूमि जो दर्ज रेकार्ड है को वादीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने की प्रार्थना की गई।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने अपने कथन की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र जो कि अनरजिस्टर्ड है कि छाया प्रति साथ संलग्न की है। प्रकरण में प्रस्तुत अन्य राजस्व अभिलेखों पर भी मनन किया। लोक अदालत की भावना से गुणावगुण तथा तथ्यों पर आधारित बिन्दुओं पर गोर किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि 1966 में 99/—रुपये के प्रतिफल पर वादीगण के पिता द्वारा क्रय की गई थी। उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होते हुये भी नियमान्तर्गत 100/—रूपये के प्रतिफल से कम होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 07 अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.01.1966 के आधार पर मूल क्रेता मोतीलाल के फौत हो जाने के कारण उनके वारिसान वादीगण के पक्ष में स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के साथ–साथ वादग्रस्त 3.02 बीघा भूमि में नानालाल पिता हीरालाल व प्यारचन्द पिता हेमराज सुनार के 2/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आदेश प्रदान किये जाते है कि प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 07 वादग्रस्त भूमि के 2/5 हक हिस्से में वादीगण को उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से कराये जाने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने के आदेश भी प्रदान किये जाते है।

:: आदेश ::

वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 07 स्वीकार किये जाने एवं वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने से ग्राम व पटवार मण्डल तथा तहसील करेड़ा स्थित आ0नं0 4203 रकबा 1.07 बीघा तथा 4204 रकबा 1.15 बीघा भूमि कुल किता–02 रकबा 3.02 बीघा में 2/5 हक हिस्सा नानालाल पिता हीरालाल व प्यारचन्द पिता हेमराज सुनार के बजाय वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जावे। प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 07 वादग्रस्त भूमि 3.02 बीघा के 2/5 हक हिस्से के उपयोग उपभोग में वादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। जमाबंदी में शेष अंकन यथावत रखा जावे। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(रजनी मीधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाड़ा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

अनवान

1–श्री बाबूलाल पिता मोतीलाल सुनार निवासी व तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2–नाथी देवी पुत्री मोतीलाल सुनार निवासी व तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

----वादीगण।

बनाम

1–रमेशचन्द्र मुतबन्ना नानालाल सुनार निवासी आजादनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

2–भंवरलाल पिता प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेड़ा।

3–प्रकाशचन्द्र आत्मज प्यारचन्द सुनार निवासी बनेडा व तहसील बनेडा।

4–सम्पतलाल आत्मज प्यारचन्द सुनार निवासी बनेडा व तहसील बनेड़ा।

5–श्यामलाल आत्मज प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेडा।

6–जसोदा देवी पुत्री प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेड़ा।

7–पुष्पादेवी पुत्री प्यारचन्द सुनार निवासी बनेड़ा व तहसील बनेड़ा।

8–उप पंजीयक करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

9–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92क मुकदमा नं. 150/17 निर्णय दिनांक 21.05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री ताराचंद जैन मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89, 183 व 92 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने से ग्राम व पटवार मण्डल तथा तहसील करेडा स्थित आ0नं0 4203 रकबा 1.07 बीघा तथा 4204 रकबा 1.15 बीघा भूमि कुल किता–02 रकबा 3.02 बीघा में 2/5 हक हिस्सा नानालाल पिता हीरालाल व प्यारचन्द पिता हेमराज सुनार के बजाय वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जावे। प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 07 वादग्रस्त भूमि 3.02 बीघा के 2/5 हक हिस्से के उपयोग उपभोग में वादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। जमाबंदी में शेष अंकन यथावत रखा जावे बावत डिक्री प्रदान की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करें।

आज तारीख 21.05.2018 को डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवम
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner